न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/118

1. विष्णु शंकर उर्फ विष्णु कुमार आत्मज स्व0 बालकृष्ण दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी मानसगॉव पोस्ट ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. महावीर प्रसाद आत्मज स्व0 श्री बालकृष्ण दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 17/26 नन्दकिशोर जी का ढपोला बृजराजपुरा कोटा ।
3. राजेश कुमारी पुत्री श्री बालकृष्ण दाधीच पत्नी श्री विनोद जोशी जाति ब्राह्मण हाल निवासी शुभम् श्री टीचर्स कॉलोनी कलेन्जरी गेट शाहपुरा भीलवाडा जिला भीलवाडा ।
4. अनूप कुमारी पुत्री स्व0 श्री बालकृष्ण दाधीच पत्नी श्री दिनेश जाति ब्राह्मण निवासी 204 बल्लभ अपार्टमेंट रिद्वि पार्क के सामने न्यू रतन कॉम्पलेक्स भुवाना उदयपुर जिला उदयपुर ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दयाकृष्ण आत्मज स्व0 श्री बालकृष्ण दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम बपावर कला तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री बालकृष्ण दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 17/126 नन्दकिशोर जी का ढपोला बृजराजपुरा कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः 08.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 एवं सपठित आदेश दिनांक 01.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 श्रीमती शकुन्तला ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्रार्थिनी व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मोराना तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 597 की रकबा 2.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 647 की रकबा 3.12 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 6.09 हैक्टर व ग्राम बपावर कला तहसील सांगोद की ख्सरा नम्बर 620 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 711 की रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 741 की रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 की रकबा 0.1663 हैक्टर, खसरा नम्बर 756 की रकबा 0. 15 हैक्टर, खसरा नम्बर 956 की रकबा 0.504 हैक्टर, खसरा नम्बर 1298 की रकबा 0.10 हैक्टर कुल 08 किता की रकबा 2.4303 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के शामलाती खाते की भूमि जिसमें प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा निहित है । ग्राम बपावर कला में गत खसरा नम्बर 442 की रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 व प्रार्थिनी की सास श्रीमती बृजकंवर-बाई के खातेदारी में दर्ज रही है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 739 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 740 की रकबा 5.97 हैक्टर कुल 03 किता की 6.06 हैक्टर कायम किये गये हैं । श्रीमती बृजकंवर ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी जरिये वसीयत दिनांक 25.05.2000 को अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 व प्रार्थिनी के पक्ष में संभाग से 1/4 – 1/4 हिस्से से निष्पादित कर दी । बृजकंवर बाई की मृत्यु सन् 2006 में हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी में दर्ज आराजी मुताबिक वसीयत प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायम 3 को संभाग से प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में श्रीमती बृजकंवर के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है जिससे प्रार्थिनी को लोन लेने तथा अपनी भूमि को विकसित करने में कठिनाई हो रही है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये बेचान व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । यदि दौराने वाद प्रार्थिनी को उक्त भूमि से बदेखल कर दिया तथा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थिनी को अपूर्णीय क्षति होगी ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी के कब्जे काश्त की आराजी में उनके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें तथा उक्त आराजी के किसी भी हिस्से को रहन, दान या खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 22.02.2021 के द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए ग्राम मोराना तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 2.97 हैक्टर व खसरा नम्बर 647 रकबा 3.12 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 5 को पाबन्द कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 5 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि

वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है फिर भी अपीलान्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं सपठित आदेश दिनांक 01.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट उक्त आदेश पारित करने के कुछ समय बाद अपने वकील साहब से मिले तो उन्हें बताया कि कोराना की बजह से नकल प्राप्त नहीं हो रही हैं इसके उपरान्त दिनांक 21.06.2021 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । सभी पक्षकारान सहखातेदार हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को वादग्रसत आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं सपठित आदेश दिनांक 01.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी अनापत्ति व्यक्त की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम बपावर कलॉ तहसील सांगोद एवं ग्राम मोराना तहसील दीगोद की आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 5 को वादग्रस्त आराजी को बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया था ।

12. परीक्षण न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं 01.03.2021 के द्वारा ग्राम बपावर कलां एवं ग्राम मोराना की आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थिनी एवं अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 5 को पाबन्द कर दिया । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण परीक्षण न्यायालय में गुणावगुण के आधार पर होना है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्ररकण को परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं 01.03.2021 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । परीक्षण न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक पक्षकारान प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 एवं अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 5 अपीलान्टगण दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

14. निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा